

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4099 /

जबलपुर, दिनांक 24 / 05 / 2025

गिरजा बरकड़े, नवगठित सेवा के सदस्य (वाटरमैन), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के अनुसार दिनांक 13/05/2025 से 22/05/2025 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश (मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है एवं अर्जित अवकाश की पात्रता शेष न होने के कारण दिनांक 23/05/2025 एवं 24/05/2025 (02 दिवस) का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/4100 /

जबलपुर, दिनांक 24 / 05 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. गिरजा बरकड़े, नवगठित सेवा के सदस्य (वाटरमैन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

